III / नि0/रीवा/भू0रा0/2017/1799 (121)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल रीवा, जिला—रीवा (म0प्र0)

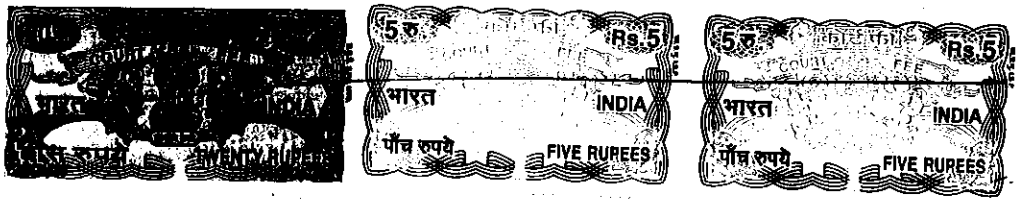

Rs. 30/—

केशव प्रसाद चर्तुवेदी पिता रामकृपाल चर्तुवेदी उम्र—60 वर्ष, पेशा—कृषि, निवासी ग्राम—भिटवा, तहसील—हुजूर, जिला—रीवा (म0प्र0) ....**निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

1— आम जनता ग्राम—वासी भिटवा द्वारा शेषमणि पाण्डेय सरपंच ग्राम पंचायत भिटवा, विकासखण्ड—रीवा, जिला—रीवा (म0प्र0)

2— सुरेश कुमार पाण्डेय तनय शीतला प्रसाद पाण्डेय

3— पुरषोत्तमलाल पिता बद्री गुप्ता

4— लखन कुमार पिता जगदीश प्रसाद

सभी निवासी ग्राम—भिटवा, तहसील—हुजूर, जिला—रीवा (म0प्र0)

................**गैरनिगरानीकर्तागण**

अधि0 श्री तरुण कुमार पाण्डेय द्वारा पेश 01-6-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त के प्र0क0 754/अपील/16—17 आदेश दिनांक 03.04.2017 के विरूद्ध निगरानी

म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी याचिका

निगरानीकर्ता का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार है:—

1— अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत है, साथ ही विधि ने पक्षकारों को सुनवाई का जो अधिकार दिया है, उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हनन करने से निरस्त योग्य है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता तलब ही नही किया और बिना सुने ही एकाकी आदेश पारित कर दिया।

2— अधीनस्थ न्यायालय ने विद्वान कलेक्टर का मूल अभिलेख बिना बुलाये ही मात्र अपील मेमो विद्वान कलेक्टर का आदेश देखकर गुण—दोष की समीक्षा किये बिना ही निरस्त कर दिया, जो विधि के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा पक्षकार को न्याय न देने से वंचित करना है।

3— अधीनस्थ न्यायालय ने यह नही देखा कि विद्वान कलेक्टर ने विधिवत उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया, दो—दो पटवारियों का परिक्षण

केशव प्रसाद चतुर्वेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र/निग0/रीवा/भू0रा0/2017/1799

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण कमांक 754/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 3-4-17 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त के प्रश्नाधीन आदेश की अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण उभय पक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर देकर तथ्यों तथा मौके एवं अभिलेख की स्थिति अनुसार आदेश पारित करने हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया है। म0प्र0 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 49 में दिनांक 30-12-2011 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारित नहीं रह गई है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि के प्रावधानों के विपरीत होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 03-4-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे संहिता में हुये नवीन संशोधन के प्रावधान के अनुकम में अपीलीय प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर गुण-दोष पर निराकरण करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	